प्रेषक,

दीपक यादव,
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद-बदायूँ।

सेवा में,

माननीय, महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
प्रयागराज।

द्वारा,

माननीय,
जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।

विषयः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 सपठित शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-76/दस/2024 /301 (1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रेषित विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प प्रस्तुतीकरण ।

आदरणीय महोदय,

विषय उपर्युक्त के संबंध में ससम्मान निवेदन करना है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश की नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुकी थी के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वित्त (सामान्य) अनुभाग 3 द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2024 के शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस/2024/301 (1)/2024 के माध्यम से विकल्प पत्र का प्रारुप उपलब्ध कराया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश उपरोक्त एवं मा० उच्च न्यायालय के पत्र उपरोक्त के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र दिनांक 20.07.24 को प्रेषित किया गया था जिसमें कुछ टंकण त्रुटियाँ रह गयी थी जिन्हें संशोधित करके इस पत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करके प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा में विज्ञप्ति तिथि 22 नवम्बर 2003 के आधार पर चयनित हुआ है। विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि दिनांक 16.05.2006 थी एवं योगदान की तिथि 14.06.2006 थी । ऐसी अवस्था में प्रार्थी नवीन शासनादेश उपरोक्त के प्रकाश में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र दिनांक 9283/VIIb-104/Admin D सेक्शन दिनांक 08.07.2024 एवं पत्र संख्या 9691/IV-F- 82(PENSION)/Admin (A) दिनांक 16 जुलाई 2024 को भी प्रकरण के संबंध में विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ई सर्विसेज के जे ओ पोर्टल पर भी साफट कापी के रूप में अपलोड किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी के दिनांक 20.07.2024 को प्रेषित पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु प्रस्तुत विकल्प पत्र के स्थान पर अपना संशोधित विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरा पुरानी पेंशन योजना से संबंधित संशोधित विकल्प पत्र मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं संबंधित पेंशन प्राधिकारी के समक्ष रखने की कृपा करें।

ससम्मान,

आपका आज्ञाकारी,

(दीपक यादव)
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद-बदायूँ।
(ID NO-UP.6378)

दिनांक-26.07.2024

Office of the District Judge
BUDAUN
No. 2902 / XV/Budaun/Dated 26/07/24
FORWARDED

District Judge
Budaun
26/7/24

संलग्नकः- निर्धारित प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विकल्प पत्र(संशोधित)मूल रूप में।

शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024
दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नकः

विकल्प पत्र (संशोधित)

1. नाम –**दीपक यादव**
2. वर्तमान पदनाम –विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
3. वेतनमान – J–5 (144840–194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम –न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम –उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–4(माध्यम लोक सेवा आयोग उ०प्र०)
6. विज्ञप्ति की तिथि – **15.11.2003** (विज्ञापन सं० A–2/ई–1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि –**26.05.2006**
   (संख्या 2430/दो–4–06–32(1)/2001 टी.सी.1 उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि –**14.06.2006** (1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जालौन स्थान उरई)
9. जन्म तिथि –**06.07.1967**
10. सेवानिवृत्ति की तिथि –**31.07.2027**

मैं दीपक यादव पुत्र श्री अजय सिंह यादव शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)** ~~नई पेंशन योजना~~ (X)में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर– (हस्ताक्षर) 26.07.2024
नाम–दीपक यादव
पदनाम–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
(ID NO–UP.6378)

घोषणा पत्र

मैं दीपक यादव पदनाम–अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बदायूँ यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– (हस्ताक्षर) 26.07.2024
नाम–दीपक यादव
पदनाम–विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
(ID NO–UP.6378)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री दीपक यादव............ पदनाम विशेष न्यायाधीश पाक्सो को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)** ~~नई पेंशन योजना~~ (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ
26/7/24